न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 20/2024

बउनवान

सूरजमल आयु 42 साल पुत्र श्री जानकीलाल, जाति मीणा, निवासी उण्डा, तहसील बारां, जिला–बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार बारां, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौत्तम, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 24.07.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रटावद तहसील–बारां की चारागाह आराजी खसरा नम्बर 581 रकबा 0.50 है., पर अतिक्रमी मानकर 250/– रूपये शास्ति एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी की मनगढंत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलांट ने उक्त वर्णित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अपीलांट के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट के आधार पर गलत निर्णय प्रदान किया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार बारां द्वारा टीम गठन कर गहनता से सर्च करने के उपरान्त भी वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर अभिलेख भिजवाये जाने में असमर्थता प्रकट की। इस पर हमने पत्रावली में संलग्न रेकार्ड के आधार पर ही प्रकरण में बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.23 10:19:31 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। प्रमाणित प्रति निर्णय में भी पूर्व में किये गये अतिक्रमण का विवरण अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 189/22 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2022 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.23 10:19:31 IST
Reason: SelfAttested